

1751
157

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/क्षे.स्था.2/ 1016

भोपाल, दिनांक 20/2/15

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश.

विषय: सहायक महावत एवं महावत की पदोन्नति के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सहायक महावत एवं महावत विगत लम्बी अवधि से कार्यरत है परन्तु समाधानकारक नियम एवं निर्देश न होने के कारण उनकी पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं थे। विभाग द्वारा इन कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2000 में आवश्यक संशोधन किया गया है। जो मध्यप्रदेश के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16-2-2015 को प्रकाशित हुआ है। (छायाप्रति संलग्न है)

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग में कार्यरत सहायक महावत एवं महावत संवर्ग के कर्मचारियों की वृत्त स्तरीय वरियता सूची जो पूर्व से ही संधारित होनी चाहिए का परीक्षण कर दिनांक 1 अप्रैल 2014 की स्थिति में प्रकाशित वृत्त स्तरीय वरियता सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाना चाहिए। वन वृत्त में कार्यरत 3 सहायक वन संरक्षकों का चयन कर विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जावे। निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए सहायक महावत को महावत एवं महावत को मुख्य महावत के पदों पर पदोन्नति देने की कार्यवाही दिनांक 15-3-2015 तक सम्पन्न की जाना चाहिए। पदोन्नति उपरांत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना चाहिए। महावत संवर्ग में सीधी भर्ती केवल सहायक महावत स्तर पर ही होनी है। अतः पदोन्नति उपरांत रिक्त होने वाले सहायक महावत के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सतीश कुमार त्यागी)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II)

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/2/15

पृष्ठांक/कमांक/क्षे.स्था.2/ 1017

प्रतिलिपि :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला/वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल/पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना/सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढी, होशंगाबाद/सिंह परियोजना, ग्वालियर/कूनो (वन्यप्राणी) श्योपुर/संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी/नौरादेही वन्यप्राणी



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2015—माघ 27, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. नं.-3-10-2013-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. विद्यमान "नियम 7" के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"7. सेवा समूह—विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके लिए परीक्षा नीचे दी गई सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी, अर्थात्:—

सारणी

क्र. (1)	सेवा समूह (2)	पद का संवर्ग / पदक्रम (3)	श्रेणी (4)
1	समूह-एक (स्नातकोत्तर स्तर)	उप समूह-01 (कृषि) सहायक संचालक/ मण्डी सचिव-अ/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी/ बीज रोग विशेषज्ञ / वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	तृतीय श्रेणी
	उप समूह-02	सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ वरिष्ठ अनुसंधान सहायक/मेडिकल सोशल वर्कर एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	
	उप समूह-03	प्रबंधक/उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक/अधीक्षक सह-लेखापाल एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	

(1)	(2)	(3)	(4)	
2	समूह दो (स्नातक स्तर)	उप समूह-01 (कृषि) उप समूह-02 (वाणिज्य) उप समूह-03 (विज्ञान) उप समूह-04	सहायक कृषि विकास विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/ तृतीय श्रेणी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/सहायक उद्यान विकास विस्तार अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी/सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि)/भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी/प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ उत्पादन सहायक/उत्पादन सहायक मण्डी निरीक्षक/मण्डी सचिव एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद. कनिष्ठ अंकेक्षक/उप अंकेक्षक/सहायक/संपरीक्षक/लेखापाल/ऑडिटर/म. प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद. प्रयोगशाला तकनीशियन/सेम्पलर/रसायनज्ञ/ बायोकेमिस्ट/कनिष्ठ रेशम निरीक्षक/डायटीशियन/स्टीवर्ड एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद. औषधी निरीक्षक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी/संरक्षक/सहायक प्रोग्रामर/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक/सहायक/कनिष्ठ सहायक/प्रचार सहायक/अनुसंधान सहायक/ सहायक जनसंपर्क अधिकारी/सहायक ग्रेड-1/जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (उद्योग)/अन्वेषक/पर्यवेक्षक/अनुवादक/स्वागतौ/संभाग समन्वयक/जिला समन्वयक/ब्लॉक समन्वयक/ग्रंथपाल/सहायक ग्रंथपाल/उप ग्रंथपाल एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	
3	समूह-तीन हायर सेकेण्ड्री (10+2) स्तर	उपयंत्री (सिविल)/ उपयंत्री मैकेनिकल/उपयंत्री (विद्युत)/यांत्रिक सहायक/राजस्व निरीक्षक/वरिष्ठ भूमापक/भूमापक/सर्वेयर/सहायक मानचित्रकार/मानचित्रकार/कनिष्ठ उपयंत्री (विद्युत वितरण कंपनी) तथा इसी प्रकार के अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	तृतीय श्रेणी	
4	समूह-चार हायर सेकेण्ड्री (10+2) स्तर	सहायक ग्रेड-03/स्टेनोग्राफिस्ट/आशुलिपिक/शीघ्रलेखक/कनिष्ठ शीघ्रलेखक/आई.टी. ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर/अनुरेखक/पटवारी/अमीन/पंजीयन लिपिक/ इलेक्ट्रिशियन/रोकड़िया/स्टोर कीपर/ रिकार्ड क्लर्क/रिकार्ड कीपर/कैशियर/ निज सचिव/प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	तृतीय श्रेणी	
5	समूह-पांच हायर सेकेण्ड्री (10+2) स्तर	लेब टेक्नीशियन (चिकित्सा)/सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी/नर्स/स्टॉफ/नर्स/लैब असिस्टेंट/लैब अटेंडेन्ट/रेडियोग्राफर/ड्रेसर/सहायक स्टीवर्ड/ई.सी.जी. टेक्नीशियन/मॉडलर/फिजिओथेरेपिस्ट/फार्मासिस्ट/ए.एन.एम./दाई एवं सभी प्रकार के अन्य समकक्ष (सहचिकित्सा) संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	तृतीय श्रेणी	
6	समूह-छः हाई स्कूल (10+2) स्तर	कर्मशाला निदेशक/कुशल सहायक/तकनीकी सहायक/डिमोन्स्ट्रेटर/प्रयोगशाला परिचारक/ मशीन शॉप निदेशक/मैन्टेनेन्स तकनीशियन/जूनियर इन्सट्रक्टर एवं सभी प्रकार के अन्य समकक्ष तकनीकी संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद.	तृतीय श्रेणी/ चतुर्थ श्रेणी	

उपरोक्तानुसार छः समूहों के लिये परीक्षाएं विभिन्न भागों के लिये मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/पद के लिये पृथक पृथक रूप से आयोजित की जायेगी."

नियम 9 के उप नियम (3) के स्थान पर निर्मांकित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(3) संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे सारणी में दिये अनुसार होगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	समूह	प्रश्नपत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्नपत्र का विवरण	अंक
1	समूह-एक (स्नातकोत्तर स्तर)	02	200	(क) सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य तार्किक योग्यता सामान्य विज्ञान सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान (ख) संबंधित विषय-100 अंक	100 अंक
2	समूह-दो (स्नातक स्तर)	02	200	(क) सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य तार्किक योग्यता सामान्य विज्ञान सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान (ख) संबंधित विषय-100 अंक	100 अंक
3	समूह-तीन हायर सेकेण्ड्री (10+2) स्तर	02	200	(क) सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य तार्किक योग्यता सामान्य विज्ञान सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान (ख) संबंधित विषय-100 अंक	100 अंक
4	समूह-चार हायर सेकेण्ड्री (10+2) स्तर	01	100	(क) सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य अभिरूचि सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	100 अंक
5	समूह-पांच हायर सेकेण्ड्री (10+2) स्तर	01	100	(क) सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य विज्ञान सामान्य अभिरूचि	100 अंक
6	समूह-छः हाई स्कूल (10+2) स्तर	01	100	(क) सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य अभिरूचि	100 अंक

3. नियम 10 में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(1) पात्रता की शर्तें तथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं—अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गये मांगपत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा. पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिये निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी. अर्थात्:—

समूह—एक—अभ्यर्थियों ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण की हो.

समूह दो—अभ्यर्थियों ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो.

समूह तीन—(क) अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ ही साथ संबंधित अधियांत्रिकी विषय में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता.

(ख) मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार हेतु—हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नक्शानवीसी (ड्राफ्ट्समैनशिप) में प्रमाण-पत्र/मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में पत्रोपाधि/मान्यता प्राप्त संस्था से आर्कीटेक्ट या मानचित्रकार में डिप्लोमा.

समूह चार—(क) अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो, साथ ही कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त हिन्दी में टायपिंग की दक्षता प्रमाण पत्र हो. आशुलिपिक के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद् से अंग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो और स्टेनोग्राफिस्ट के लिये अभ्यर्थी के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर यथा मान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो.

(ख) अनुरोधक, इलेक्ट्रीशियन, सहायक मैकेनिक, कारपेन्टर एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हो.

समूह पांच:—अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उसके पास संबंधित पद के लिये आवश्यक प्रमाण-पत्र/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) हो.

समूह छ:—अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण की हो तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय/ट्रेड में प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की हो.”

(दो) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती हैं, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल संलग्न परिशिष्ट में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा. इसके साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर सकेगा.

(ख) कुछ विभागों के पदों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वरूप की दक्षता चाही जाती है जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होता है उदाहरणस्वरूप स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफिस्ट आदि. ऐसे मामलों में व्यावसायिक परीक्षा मंडल आवश्यकता के अनुरूप यह निर्णय करेगा कि परीक्षा में इस प्रकार की तकनीकी दक्षता का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त स्तर की परीक्षा आयोजित की जा सके व उसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक नियत किये जाकर जो पात्रता में अंक प्राप्त होंगे वे अंक प्रथम चरण की परीक्षा में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. गजभिदे, उपसचिव.

(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub group-02 (Commercial)	Junior Auditor/Sub Auditor/Asstt. Samparikshak/ Accountant/Auditor/Madhya Pradesh sub-ordinate Account Service Cadre and other equivalent Cadres/post.	
	Sub group-03 (Science)	Laboratory Technician/Sampler/Chemist/Bio chemist/ Junior Sericulture Inspector/Dietician Steward and other equivalent Cadres/post.	
	Sub group-04	Drug Inspector/Food Security Officer/Conservator/ Assistant Programmer/Computer programmer/ Labour Inspector/Labour Sub Inspector/Assistant/Junior Assisatant/ Publicity Assistant/Investigation Assistant/ Public Relation Assistant/ Assistant Grade--I/District Manager/ Assistant Manager (Industry) Investigator/Supervisor/Translator/ Receptionist/Division Co-ordinator/District Co-ordinator/ Block Co-ordinator/Librarian/ Assistant Librarian/Deputy Librarian and other equivalent Cadres/post.	
3	Group-"III" [Higher Secondary (10+2) Level]	Sub Engineer (Civil)/Sub Engineer (Machanical)/ Sub Engineer (Electrician)/ Machanical Assistant/Revenue Inspector/Sinior Land Surveyor/Bhu-Mapak/Surveyer/ Assistant Draftsman/ Draftsman/Junior Sub Engineer (Vidhyut Vitaran Comp.) and other equivalent Cadres/ post.	III
4	Group-"IV" [Higher Secondary (10+2) Level]	Assistant Grade-3 Stenotypist/Stenographer/Junior Stenotypist/IT Operator/Computer Operator/Data Entry Operator/Tracer/Patwari/Ameen/Registration Clerck/ Electrician/Rokadia (Cashier)/Store Keeper/Record Clerk/Record Keeper/Cashier/Private Secretary/Traning Officers/Industrial Training Institute and other equivalent Cadres/post.	III
5	Group-"5" [Higher Secondary (10+2) Level]	Lab Technician (Medical)/Assistant veterinary field Officer/Nurse/Staff Nurse/Lab Assistant/Lab Attendent/ Radiographer/Dresser/Assistant Steward/ECG Technicain/ Modelor/Physiotherapist/ Farmacist/A.N.M./Midwife and other equivalent Cadres/post.	III
6	Group-"6" [High School (10+2) Level]	Karmshala Nideshak/Skilled Assistant/Technical Assistant /Demonstrator/Laboratory Attendent/ Machine Shop Nideshak/Maintanance Technician/Junior Instructor and other equivalent Cadres/post.	III/IV

The Examinations for aforesaid 6 Groups for various departments shall be conducted by the Board separately for every Cadres/Posts on the basis of syllabus finally prepared by the Board."

2. For subrule 3 of rule 9, the following subrule shall be substituted, namely:—

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. सी-3-10-2013-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal, the 16th February 2015

No. C-3-10-2013-3-Ek.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment to the Madhya Pradesh Junior Service (Joint Qualifying) Examination Rules, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,

1. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

“ 7. Service Group : The service group for different posts for which the examination shall be conducted are as given in the table below, namely:—

TABLE

No. (1)	Service Group (2)	Cadre os the post/Designation (3)	Class (4)	
1	Group-“I” (Post Graduate Level).	Sub group-01 (Agriculture)	Assitant Director/mandi secretary-A/ Assistant Beej Pramanikaran Officer/Beej Rog Specialist/ Senior Agriculture Development Officer and other equivalent Cadres/post.	III
		Sub group-02	Assistant Statistical Officer/Senior Investigation Assistant/Medical Social Worker and other equivalent cadres/post.	
		Sub group-03	Manager/Deputy Manager/Assistant Manager/ Superintendent Cum-Accountant and other equivalent cadres/post.	
2	Group-“II” (Graduate Level).	Sub group-01 (Agriculture)	Assitant Agriculture Development Extension Officer/ Agriculture Development Officer/Rural Agriculture Extension Officer/Assistant Horticulture Development Extension Officer/Rural Horticulture. Extension Officer/ Assistant Horticulture Extension Officer/Assistant Land Conservation Officer (Agriculture.)/Land Conservation Survey Officer/Prakshetra Extension Officer/Sinior Production Assitant/Production Assitant/Mandi Inspector/Mandi Secretary and other equivalent cadres/post.	III

- (b) In the posts of the same departments, the departments require certain technical efficiency which is impossible to assess by way of written test only for such posts like stenographer, steno-typist etc. In such cases, the Professional Examination Board, as per the requirement may decide whether the assessment of technical efficiency needs as additional level of examination and can be conducted and fixing the cut off marks for such examination. The marks so obtained shall be added to the marks of first stage examination and the final merit list shall be prepared.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.